

20/7/21

वादी एवं वकील वादी उप० नहीं। बार-2  
आवाज दिलाई गई। किंतु कोई उप० नहीं  
आया। ऐसी स्थिति में दावावादीगण  
अदम हाजिरी एवं अदम परवी में खारिज  
किया जाता है। फ़ावली दाखिल दफ़्तर हो

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)